



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका - बी संख्या - 390 वर्ष 2026

दास्सा

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : सुरेश यादव
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

i) सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा केस संख्या 1207 चक संख्या 1435, गाटा संख्या 4364 में दिनांक 05.06.1989 को पारित आदेश को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

ii) जिला मजिस्ट्रेट बांदा, जिला बांदा (प्रतिवादी संख्या 2) को याचिकाकर्ता के दिनांक 05.12.2025 के अभ्यावेदन (अनुलग्नक संख्या 4) पर निर्णय लेने और राजस्व अभिलेखों में याचिकाकर्ता और उसके वारिसों का नाम दर्ज करने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि राज्य अधिकारी उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 6(2) के तहत निर्धारित कानून के प्रावधानों के अनुसार सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.1989 को पारित आदेश को लागू नहीं कर रहे हैं।

3. यह निवेदन किया जाता है कि संबंधित इकाई/गांव को यूपीसीएच अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है। यूपीसीएच अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया रद्द होने से पहले, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 05.06.1989 को पारित आदेश अंतिम हो चुका है, क्योंकि किसी भी पक्ष द्वारा इसे किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, यूपीसीएच अधिनियम की धारा 6(2) के तहत निर्धारित कानून के प्रावधानों के अनुसार, राज्य प्राधिकरण उक्त आदेश को भूमि अभिलेख में लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण उप निदेशक, चकबंदी द्वारा अधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा अपनी शिकायत को दर्शाते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले नए अभ्यावेदन पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

5. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा, अतः न्यायालय मामले की खबियों पर विचार किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निपटारा करना उचित समझता है। याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिला मजिस्ट्रेट/जिला उप निदेशक (प्रतिवादी संख्या 2) के समक्ष अपनी शिकायतों के संबंध में, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति और वर्तमान रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं या कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, इस अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः तीन महीने के भीतर, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो निर्णय लेंगे।

6. उपरोक्त अवलोकन के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"